

नियम 31 : माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के मूल्य के अवधारण की अवशिष्ट पद्धति

जहां माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय का मूल्य नियम 27 से नियम 30 के अधीन अवधारित नहीं किया जा सकता, वहां उसे धारा 15 और इस अध्याय के उपबंधों के सिद्धान्तों या साधारण उपबंधों के संगत युक्तियुक्त साधनों का प्रयोग करके अवधारित किया जाएगा :

परन्तु सेवाओं की प्रदाय की दशा में, प्रदायकर्ता नियम 30 की अवज्ञा करते हुए इस नियम का विकल्प चुन सकेगा।
